रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2015/आश्विन 28, 1937
No. 649] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2015/ASVINA 28, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 796(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक कमान्डेंट (राजभाषा) समूह 'क' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** • — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमान्डेंट (राजभाषा), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है।

   (2) ये, इनके राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** • — उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो कि इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि** • — उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वही होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति :

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह से ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल ि करने की शक्ति** • — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** • – इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक कमान्डेंट (राजभाषा)	15* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय योद्यक	वेतन बैंड 3, 15,600 – 39,100 रुपए और ग्रेड वेतन 5,400 रुपए	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताए	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती या प्रोन्नतिया प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I के पूरा करने के अध्यधीन श्रेणी में ऐसा सूबेदार मेजर (हिन्दी अनुवादक) में दो वर्ष सेवा की हो और सहायक कमाण्डेंट (राजभाषा) के पद के लिए विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थान से सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।
	टिप्पणी 1 : जहां ऐसे कनिष्ठों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, को प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ग्रेड में ज्येष्ठों के सबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, उससे कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
	टिप्पणी 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्संबंधी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाए उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व–संशोधित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय किया गया हो, और जहां यह फायदा केवल उस या उन पदों के लिए विस्तारित होगा, जिसके लिए यह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी क्या संरचना है।	भर्ती करने के लिए, किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है।
समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति (पुष्टिकरण/परिवीक्षा अवधि पूरी के लिए) में निम्न होंगे :— 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — अध्यक्ष 2. महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य 3. उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल — सदस्य 4. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य	

[सं. आर. 9—1/2014—मिन./डी.ए.—3]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2015

G.S.R. 796(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Commandant (Official Language) Group ‘A’ post in the Central Reserve Police Force, in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement .** - (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Official Language), Group ‘A’ Post, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale . -**The number of the said post, it’s classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc .** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .** - Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay or Pay Scale**	**Whether selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Commandant (Official Language)	15* (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non Ministerial, Combatised	Pay Band 3 Rs. 15,600-39,100 and Grade Pay of Rs. 5,400	Selection

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualification required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any.**
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion	Subedar Major (Hindi Translator) with two years regular service in the rank subject to fulfilment of medical category SHAPE-I and successful completion of training from recognized institute specified for the post of Assistant Commandant (Official Language). **Note. 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors in the respective grade would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	Note. 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
If a departmental promotion committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:- 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission.
Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation/completion of probation period) consisting of:- 1. Director General or Additional Director General, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 3. Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force - Member 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	

[No. R.IX.1/2014-Min-DA-3]

DINESH MAHUR, Director (Per.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.